राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/16/1475-1665 दिनांकः 25/01/2017

आयुक्त/अधिशाषी अधिकरी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः– नगरीय विकास कर योग्य सम्पत्तियों की सूचना तैयार करना एवं की गई कर वसूली की सूचना निर्धारित प्रारूप में भिजवाने बाबत्।

.....

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/ 9356 दिनांक 24.08.16 द्वारा नगरीय निकायो को नगरीय विकास कर की वसूली स्वयं अपने संसाधनो से करने एवं रिकॉर्ड कम्प्यूटराईज्ड करने, मांगपत्र जारी करने व कर वसूल करने के निर्देश दिये गये थे।

परन्तु यह देखने में आया है कि नगरीय निकायो द्वारा नगरीय विकास कर की प्रभावी वसूली नहीं की जा रही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत नगरीय विकास कर वसूल करने हेतु बिल जारी करने, मांगपत्र जारी करने एवं कर वसूल करने के अधिकार सभी नगरीय निकायो के अधिकारियो की सक्षमता में है।

अतः सभी नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि सभी कर योग्य सम्पत्तियो को चिन्हित कर दिनांक 31.05.17 तक शत प्रतिशत वसूली किया जाना सुनिश्चित करे तथा इस नगरीय विकास कर वसूली की सूचना सलंग्न प्रारूप में 15 दिवस में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

परिशिष्ट–1

नगरीय निकाय का नाम .....
दिनांक ..... की स्थिति

क्र. सं.	भूमि/भवन सम्पत्तियों का वर्गीकरण	कुल सम्पतित्यों संख्या	नगरीय विकास कर योग्य सम्पत्तियों की संख्या	कर योग्य सम्पत्तियों से यू.डी.टैक्स की कुल करारोपण राशि (U.D. Tax Demand)	कितनी सम्पत्तियों से यू.डी. टैक्स वसूल किया गया की संख्या	नगरीय विकास कर वसूल की गई राशि
वित्तीय वर्ष 2015–16						
1.	आवासीय					
2.	व्यवसायिक					
3.	संस्थागत					
4.	औधोगिक					
5.	अन्य सम्पत्ति					
	कुल					
वित्तीय वर्ष 2016–17 (अप्रैल 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक)						
1.	आवासीय					
2.	व्यवसायिक					
3.	संस्थागत					
4.	औधोगिक					
5.	अन्य सम्पत्ति					
	कुल					

मुख्य नगरपालिक अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका